



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273282  
CG-DL-E-10062026-273282

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2832]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2832]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2926(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इनमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 तक के भू-खण्ड (सटाणा से मंगरूळ फाटा भाग-III) पक्की कंधो के विन्यास के साथ दो लेन का निर्माण, अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप कलक्टर (भूमी अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, नासिक को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जायेगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों को सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा ;और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या-752जी के कि.मी. 64/000 से कि.मी.101/140 तक (सटाणा से मंगरूळ फाटा भाग-III) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: देवला					
गांव का नाम: देवला					
1	58	निजी	अकृषिक	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
2	65	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
<b>Total</b>					<b>0.02</b>

[फा. सं. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

**S.O. 2926(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No.752G in the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 (Satana to Mangrul Phata Part-III)** in the district of NASHIK in the state of MAHARASHTRA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Collector (Land Acquisition) National Highway Project, Nashik** in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 64/000 to Km. 101/140 of (Satana to Mangrul Phata Part-III) of National Highway No.752G in the district on NASHIK in the state of MAHARASHTRA.**

State: MAHARASHTRA			District: Nashik		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Deola</b>					
<b>Village: Deola</b>					
1	58	Private	Non Agriculture	0.01 (Hectare )	0.01
2	65	Private	Dry	0.01 (Hectare )	0.01
<b>Total</b>					<b>0.02</b>

[F. No. NH-12014/79/2020-21-MAH(Z-4)/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director